न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या– 45 / 2023

उनवान:–

1. कालीचरन 2. बन्टू पुत्रगण स्व. श्री रामभरोसी जाति मल्लाह (निषाद) निवासी कामरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर

3. श्रीमती हरप्यारी पुत्री स्व0 श्री रामभरोसी पत्नि कृष्णकुमार जाति मल्लाह (निषाद) निवासी कामरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर

4. श्रीमती हरभेजी पुत्र स्व. श्री रामभरोसी पत्नि कृष्णकुमार जाति मल्लाह (निषाद) निवासी कामरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर

––––– वादीगण

बनाम

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीछिया तहसील व जिला धौलपुर जरिये प्रधानाचार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीछिया तहसील व जिला धौलपुर
2. तहसीलदार महोदय धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

––––– प्रतिवादीगण

बाद वास्ते स्वत्व घोषणा एंव बंटवारा काश्त

उपस्थिति – 1. श्री किशनसिंह त्यागी, ऐडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री देवीसिंह कुशवाह ऐडवोकेट प्रति0 सं0 1 की ओर से

दिनांक 30.08.2024

<u>निर्णय</u>

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1037 / 334 रकवा 1.2645 है0 स्थित ग्राम बीछिया तहसील धौलपुर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एंव आधिपत्य धारी वादीगण का पिता रामभरोसी पुत्र रामजीलाल 4 / 5 भाग का था तथा 1 / 5 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 है। वादीगण के पिता रामभरोसी का निधन दिनांक 09.11.2017 को हो गया है जिसका समस्त तर्का वादीगण की मां कम्पूरी तथा वादीगण ने वहिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त किया । वादीगण की मां कम्पूरी का निधन भी दिनांक 18.12.2012 को हो गया है जिसका समस्त तर्का वादीगण की मां कम्पूरी तथा वादीगण ने वहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त किया। इस प्रकार से विवादित आराजी में वादीगण 4 / 5 भाग के एंव प्रतिवादी संख्या 1, 1 / 5 भाग का खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार से काबिज काश्त वादीगण है। विवादित आराजी में से 1 / 5 भाग वादीगण के पिता रामभरोसी ने प्रतिवादी

उपखण्डअधिकारी
धौलपुर (राज0)

संख्या 1 को निःशुल्क दान किया था। वादीगण के पिता का निधन दिनांक 09.11.2007 को होने के बाद वादीगण ने मृत्यु प्रमाण पत्र रामभरोसी एंव सिजरा प्रमाण पत्र पटवारी हल्का को विरासत का नामान्तकरण तस्दीक कराने हेतु उपलब्ध करा दिया तथा वादीगण इस भरोसे में रहे कि उनका नामान्तरकरण तस्दीक हो गया होगा। वादीगण ने लगभग 02 वर्ष पूर्व जब पटवारी हल्का से विवादित आराजीयात की नकल अपने नाम की मांगी तब पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि वादीगण के पूर्व पुरूष रामभरोसी का विरासत का नामन्तरकरण तस्दीक नही हुआ है। वादी दायरी से 10 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 एंव पटवारी हल्का ने इजहार किया कि विरासत का इन्तकाल दर्ज करंने में असमर्थ है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण स्वत्व घोषणा करा पाने एंव बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कराने के अधिकारी है।वादीगण ने निवेदन किया कि दावा डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजीमें 4/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।इसी प्रकार से वादीगण के नाम के इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में कराये जावे विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर खाता पृथक–पृथक कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री देवीसिंह कुशवाह एड. उपस्थित हुए किन्तु उनकी ओर से कोई जवाब दावा पेश नही किया गया। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता संख्या 331 ग्राम बीछिया फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामभरोसी एंव कम्पूरी सिजरा प्रमाण पत्र छाया प्रति एंव आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2022 प्रस्तुत किया गाय। वादीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक सुनी जाकर दावा वादीगण दिनांक 02.01.202024 को प्रारभिंक डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1037/334 रकवा 1.2645 है0 बाके ग्राम बीछिया तहसील धौलपुर में वादीगण को 4/5 भाग व हिस्सा बराबर– बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार वादीगण का नाम दर्ज किये जाने एंव रामभरोसी का नाम कलमजद किये जाने के आदेश दिए गए। विवादित आराजी का बंटवारा वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने के आदेश दिए गए। तहसीलदार धौलपुर से वादीगण के 4/5 भाग एंव प्रतिवादी संख्या 1 के 1/ भाग के विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए।

आदेश दिनांक 02.01.2024 की पालना में तहसीलदार धौलपुर ने उनके पत्रांक राजस्व/2023/514 दिनांक 25.06.2024 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तहसीलदार धौलपुर ने विभाजन प्रस्ताव में ख.नं. 1037/334/1 रकवा 0.2529 है0 किस्म बारानी सोयम का राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीछिया हि0पूर्ण संस्था के लिए तथा ख.नं. 1037/334/2 रकवा 1.0116 है0 किस्म बारानी सोयम का कालीचरन बन्टू पुत्र व हरप्यारी, हरभेजी पुत्री रामभरोसी हि0पूर्ण जाति मल्लाह(निषाद) स्रा. कामरे का पुरा खातेदार प्रस्तावित किया गया है।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 सुनी गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किए जाने का कथन किया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने, विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरान्त हम दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार धौलपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव में प्रस्ताव अनुसार ख.नं. 1037/334/1 रकवा 0.2529 है0 किस्म बारानी सोयम का राजकीयं प्राथमिक विद्यालय बीछिया हि0पूर्ण संस्था के लिए तथा ख.नं. 1037/334/2 रकवा 1.0116 है0 किस्म बारानी सोयम का कालीचरन बन्टू पुत्र व हरप्यारी, हरभेजी पुत्री रामभरोसी हि0पूर्ण जाति मल्लाह(निषाद) सा. कामरे का पुरा खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैशल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)